मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2000 (अग्रहायण 17,1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल स्थित हिन्दी भवन न्यास का किराया उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान न किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य, इन्दौर जिले के ग्राम चंद्रावती गंज में एक दम्पत्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर नगरपालिक निगम में कार्यपालन यंत्री की नियुक्ति में अनियमितता होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित राज्य परिवहन निगम की भूमि की नीलामी में अनियमितता होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, भोपाल नगर के कोटरा सुल्तानाबाद में भूमि का अवैध विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री जयंत कुमार मलैया, सदस्य, कटनी कृषि उपज मंडी में शासन के आदेशों का पालन न होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री अंचल सोनकर, सदस्य, राज्य शासन द्वारा शासनादेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री धरमू राय, सदस्य, सागर जिले के अमारी रमगढ़ा में शासकीय भूमि का अवैधानिक नामांतरण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री स्वामी प्रसाद, कुंवर विजयबहादुर सिंह बुंदेला, सदस्य, छतरपुर जिले में अवर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री देवी सिंह पटेल, प्रेमसिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले में सूखा राहत कार्य हेतु राशि का आवंटन न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री तेजसिंह सेंधव, सुधाकर बापट, सदस्य, मंदसौर के मंडीगेट में कुछ लोगों द्वारा दुकान में आग लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) कुंवर विजय शाह, सदस्य, खण्डवा जिले के हरसूद क्षेत्र के वन ग्रामों को अभ्यारण्य हेतु खाली कराये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, धार जिले में बालू, रेती खदान की नीलामी में अनियमितता होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री अजय विश्नोई, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम पनागर पुरवा निवासी एक महिला को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर की अनेक आवासीय कालोनियों में विद्युत लाइन से क्षति होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री लाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर स्थित उद्योगों द्वारा भू-अर्जन से विस्थापित परिवारों को रोजगार न दिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री जयंत कुमार मलैया, सदस्य, कटनी जिले के अंतर्गत श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम लुहरगवां में दो व्यक्तियों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, एदलसिंह कंसाना, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, मुरैना जिले के कैलारस में चिकित्सक की लापरवाही से एक महिला की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री मुंशीलाल, सदस्य, शिवपुरी जिले के करियारपुर गांव से एक बालक का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, प्रदेश के अनेक उद्योगों पर अरबों रुपये विद्युत शुल्क बकाया होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में अनुबंध के मुताबिक जामनी नदी से पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री करणसिंह वर्मा, सदस्य, सीहोर शुगर फैक्ट्री द्वारा गन्ने की खरीदी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री मुंशीलाल, बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल जिला उपभोक्ता भण्डार की कार्यप्रणाली में अनियमितता होने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री मुंशीलाल, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम घटवार में वन विभाग के कर्मी द्वारा गोली चलाने से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आलर्षित करेंगे.

(26) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम लबादा में एक महिला व बालक की संदिग्ध मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री हिम्मत कोठारी, सभापति, लोक लेखा समिति का 110 वां से 116 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री सईद अहमद, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ छह वां, एक सौ सातवां, एक सौ आठवां, एक सौ नौ वां तथा एक सौ दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री शिवमोहन सिंह, सभापति, याचिका समिति का बाईसवां, तेईसवां एवं चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लाल सिंह, सदस्य, भिण्ड एवं ग्वालियर से मौ तक राज्य परिवहन निगम की बस चलाये जाने; तथा

(2) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल नगर के उपनगर बैरागढ़ में पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण हेतु "बैरागढ़ जल आवर्धन योजना" को स्वीकृति दिलाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. वक्तव्य

श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, दिनांक 5 दिसम्बर, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक-4477) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

6. अशासकीय संकल्प

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला चिकित्सालय में समस्त पैथालॉजीकल, रेडियोलॉजीकल, कार्डियोलॉजीकल परीक्षणों की आधुनिकतम सुविधायें उपलब्ध कराई जायें."

(2) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी द्वारा 15 पैसे की दर से प्राप्त कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, उनकी प्रयोगशालाओं और उनके द्वारा चलाये जा रहे अनुसंधानों को भी उचित अंश दिया जाय."

(3) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश की ऐसी नगर निगम/नगर पालिका जो नागरिकों को विगत कई वर्षों से नल द्वारा पेयजल एक समय देते हैं और जल कर की राशि दो समय की लेते हैं ऐसी आधी राशि नागरिकों को वापस दी जाये."

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को उच्च शिक्षा मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक-424) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 7 दिसम्बर, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.